

राजस्थान सरकार
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग

क्रमांक-एफ.10(36)आयु./2018

जयपुर, दिनांक :- 26 AUG.2019

—:: आदेश ::—

होम्योपैथिक चिकित्सा विभागान्तर्गत लोक हित एवं प्रशासनिक कारणों के मध्यनजर निम्नांकित चिकित्साधिकारियों का स्थानान्तरण/पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क. स.	नाम अधिकारी	पद	कहा से	कहो को	विवरण
1	2	3	4	5	6
1	डॉ. हारून रशीद	होम्यो. चिकित्साधिकारी	राज० होम्यो० चिकि० लसाडिया,	मोबाईल यूनिट उदयपुर	डॉ. अमित मेहता के स्थान पर
2	डॉ. अमित मेहता	होम्यो. चिकित्साधिकारी	मोबाईल यूनिट उदयपुर	राज० होम्यो० चिकि० लसाडिया, उदयपुर	डॉ. हारून रशीद के स्थान पर
3	डॉ. गरिमा शर्मा	होम्यो. चिकित्साधिकारी	सी.एच.सी. पीसांगन, अजमेर	राज. होम्यो. औषधालय पुष्कर, अजमेर	रिक्त पद पर
4	डॉ. गौतम	होम्यो. चिकित्साधिकारी	राज. होम्यो. औषधालय मा.शि. बोर्ड अजमेर	राज. होम्यो. औषधालय जे.एल. एन. अजमेर	रिक्त पद पर
5	डॉ. पूर्णिमा शर्मा	होम्यो. चिकित्साधिकारी	राज.होम्यो.चिकि. सीएचसी रायपुर भीलवाडा	पीएचसी सांभर, जयपुर	रिक्त पद पर
6	डॉ. घनश्याम मेईवाल	होम्यो. चिकित्साधिकारी	राज.होम्यो. चिकि. रेलावन-वांरा	राज.होम्यो.चिकि. दीगोद-कोटा	डॉ. चन्द्र प्रकाश गोयल के स्थान पर
7	डॉ. चन्द्र प्रकाश गोयल	होम्यो. चिकित्साधिकारी	राज.होम्यो.चिकि. दीगोद-कोटा	राज.होम्यो. चिकि. रेलावन-वांरा	डॉ. घनश्याम मेईवाल के स्थान पर
8	डा अखिलेश धानका	होम्यो. चिकित्साधिकारी	राज.होम्यो.चिकि. शाहपुरा-भीलवाडा	राज. होम्यो. औषधालय महात्मा गांधी चिकि. परिसर, जिला मु. भीलवाडा	डॉ. श्रीमति मनीला श्रीवास्तव के स्थान पर
9	डॉ. श्रीमति मनीला श्रीवास्तव	होम्यो. चिकित्साधिकारी	राज. होम्यो. औषधालय महात्मा गांधी चिकि. परिसर, जिला मु. भीलवाडा	राज.होम्यो.चिकि. शाहपुरा-भीलवाडा	डा अखिलेश धानका के स्थान पर

Ligom

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	कहा से	कहाँ को	विवरण
1	2	3	4	5	6
10	डॉ. तारा प्रकाश यादव	होम्यो. चिकित्साधिकारी	राज.होम्यो.चिकि. जगतपुरा, जयपुर	रजिस्ट्रार होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड	श्री तारा प्रकाश यादव का वेतन आहरण होम्यो. चिकित्सा विभागान्तर्गत स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध किया जावे।
11	डॉ. विजय शंकर	होम्यो. चिकित्साधिकारी	राज.होम्यो.चिकि. निवाई-टोंक	राज.होम्यो.चिकि. जगतपुरा, जयपुर	डॉ. तारा प्रकाश यादव के स्थान पर

नोट:- 1. उपर्युक्त को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

2. उपर्युक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में किसी अधिकारी/पदस्थापन स्थान के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश हो तो उसकी क्रियान्विति निदेशालय/शासन से पूर्व अनुमति उपरांत ही किया जाना सुनिश्चित करे।

आज्ञा से,
एस.डी.
(संजय कुमार)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर

आयुष भवन सेक्टर 26 प्रतापनगर जयपुर-302033

क्रमांक:-प्रति-1/हो.चि./पदस्थापन/स्था./2019/ 4052-61 दिनांक:- 26.08.2019

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- विशिष्ट सहायक, माननीय आयुर्वेद मंत्री महोदय।
- निजी सचिव, शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर।
- निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर।
- उप शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर को आदेश क्रमांक एफ.10(36) आयु. /2018 दिनांक 26.08.2019 के क्रम में दी जाकर निवेदन है कि क्र.सं. 5 पर अंकित डॉ. पूर्णिमा शर्मा होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग के अधीन पदस्थापित/कार्यरत नहीं है तथा सीएचसी रायपुर भीलवाड़ा में होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी का पद भी सृजित नहीं है। अतः उक्त का संशोधन कराया जाना प्रस्तावित है।
- प्रभारी, सी.एच.सी./पी.एच.सी.।
- प्रभारी होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय,।
- संबन्धित, होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, डॉ.को वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यमुक्त किया जाकर तत्काल नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर तत्काल इस विभाग को अवगत करावे साथ ही उपर्युक्त स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश में किसी अधिकारी/पदस्थापन स्थान के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश हो तो उसकी क्रियान्विति निदेशालय/शासन से पूर्व अनुमति उपरांत ही किया जाना सुनिश्चित करे।
- विभागीय नोडल अधिकारी (विभागीय बैवसाइट) को दी जाकर लेख है की विभागीय बैवसाइट पर आज ही अपलोड करावे एवं सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को ई-मेल/Whats App कर सूचित करे।
- कार्यालय की लेखा शाखा/कैश शाखा/विधी शाखा/सामान्य शाखा/स्टोर शाखा।
- रक्षित पत्रावली।


(डॉ. रेणु बंसल)
निदेशक